

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, (म.प्र.)
आदेश**

क्रमांक 490/दो-11-2/96

होशंगाबाद, दिनांक 28.11.19

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 384/दो-11-2/96 होशंगाबाद दिनांक 01.10.2018 एवं आदेश क्रमांक 08/दो-11-2/96 होशंगाबाद दिनांक 04.01.19 के द्वारा क्रमशः श्री अशोक कुमार अहिरवार, श्री मनीष रघुवंशी, श्री आशुतोष त्रिपाठी, श्री रूपेश सोनी, कु पूजा राठौर, सुश्री पुनीता सिंह एवं श्री प्रहलाद खाकरे शीघ्रलेखक ग्रेड-दो वेतनमान 5200-20200+2800/- ग्रेड पे से शीघ्रलेखक के पद पर वेतनमान 9300-34800+ 3600/- ग्रेड पे में पदोन्नति के आदेश को उक्त सभी शीघ्रलेखकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2016 एवं संशोधित भर्ती नियम 2019 में नियम 05 शेड्यूल-दो के क्रमांक 21 में शीघ्रलेखक के पद का वेतनमान ग्रेड 9300-34800/- +3600/-ग्रेड पे देय न होने के कारण संशोधित कर, नियमानुसार वेतनमान 5200-20200+2800/- ग्रेड पे प्रतिस्थापित किया जाता है।

तदनुसार वेतन निर्धारण कर वसूली पत्रक तैयार किया जावे।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)

होशंगाबाद दिनांक 28.11.19

पृ.क्र. 1639/दो-11-2/96

प्रतिलिपि:-

- 01- जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर/टीकमगढ़/बैतुल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 संबंधित कर्मचारी श्री..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 कोषालय अधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 लेखापाल/देयक लिपिक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वास्ते-जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म0प्र0)